

:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ::  
पीठासीन अधिकारी :- अनील कुमार जैन  
मूकदमा नम्बर 24/21

1. श्री शंकर पुत्र कमजी जाति मीणा निवासी बावडीखेडा तहसील  
सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राज

प्रार्थी

बनाम

1. श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राज

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबत् पत्थरगढी कराने।

उपस्थित :-

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय :: दिनांक 06/04/2021

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काशत की भूमि गाँव बावडीखेडा खाता सख्या 72 के खसरा 363/10 का रकबा 1.6180 हैक्टेयर, भूमि है। बिन्दू सख्या 1 में वर्णित आराजी प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काशत की भूमि है प्रार्थी या उसके पूर्वजो द्वारा उक्त आराजीयात किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं की गई है पडौसी अकरण सीमा विवाद कर रहे है ऐसे में शान्तीपूर्ण काशत में व्यवधान पैदा हो रहा है। प्रार्थी द्वारा पटवारी साहब को मोक़े पर सीमाकन कराने की बात करने पर पडौसी विवाद करते है ऐसे में पटवारी साहब द्वारा एसडीएम साहब से आदेश करवाने का कहने पर प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हो गया है अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काशत की गाँव बावडीखेडा खाता सख्या 72 के खसरा 363/10 का रकबा 1.6180 हैक्टेयर, भूमि की पत्थरगढी पत्थर लगा कर, स्थाई चिन्ह लगा कर करने का आदेश पारित किया जावे, जिसकी पालना हेतु तहसीलदार तहसील झौथरीपाल को आदेशित किया जावे।

अतः तहसीलदार तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राज को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काशत की भूमि मौजा बावडीखेडा के आराजी सख्या 363/10 का रकबा 1.6180 की पत्थरगढी, पत्थर लगाकर स्थाई सीमा चिन्ह लगाने हेतु पत्थरगढी करे। तहसीलदार तहसील झौथरीपाल आदेश की पालना कर रिपोर्ट न्यायालय में अवीलम्ब पेश करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा

आज दिनांक 06/04/2021. को उक्त निर्णय खुल न्यायालय में सुनाया गया है

  
उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा